प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील **123/2003**

डाकघर अधीक्षक, मुख्य डाकघर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

...अपीलार्थी**/**अनावेदक

विरुद्ध

श्रीमती लीला तिवारी, पति स्वर्गीय श्री एस. पी. तिवारी, निवासी गोल बाजार, सिटी कोतवाली के पास , बिलासपुर, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी**/**आवेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

म. प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम **1961** की धारा **32** के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील

21.04.2006

श्री एस. के. बेरीवाल, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री नरेश कुमार सिंह, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा गोल बाजार, बिलासपुर में उप-डाकघर संचालित करने तथा उप-डाकपाल के निवास हेतु प्रत्यर्थी के स्वामित्व वाले परिसर को एक लिखित पट्टा विलेख के तहत दिनांक 17.07.1990 से 16.07.1995 की अवधि के लिए 2,000/- रुपये प्रति माह के किराए पर लिया गया था। पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात, प्रत्यर्थी ने दिनांक 04.08.1995 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को किराए की नई दर प्रस्तावित करने अथवा भवन का कब्जा न रखने की स्थिति में उसे रिक्त करने हेतु सूचित किया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। तदुपरान्त, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को दिनांक 19.08.1998 को एक पंजीकृत विधिक सूचना प्रेषित कर अपनी मंशा व्यक्त की कि यदि पट्टा जारी रखना है, तो किराए की दर 6,000/- रुपये प्रति माह होगी, अन्यथा भवन खाली कर दिया जाए। किन्तु अपीलार्थी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चार वर्ष पश्चात, दिनांक 09.08.1999 को एक पत्र के माध्यम से, बिना किसी उचित प्रक्रिया को अपनाए, मनमाने ढंग से किराया 2,600/- रुपये प्रति माह निर्धारित कर दिया, जिससे प्रत्यर्थी सहमत नहीं हुई और तदनुसार अपना उत्तर भेजा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके पश्चात, प्रत्यर्थी भूस्वामी श्रीमती लीला तिवारी ने छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10(4) सहपठित धारा 8 के अंतर्गत किराया वृद्धि हेतु भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 1/99-2000 के रूप में दर्ज हुआ। अपीलार्थी/किराएदार को सूचना

तामील होने के पश्चात, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी (इसके पश्चात "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) ने दिनांक 31.03.2000 के आदेश द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए किराए में वृद्धि की और किराया 6,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित किया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/किराएदार ने अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत जिला न्यायालय बिलासपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की माफी हेतु आवेदन के साथ अपील दायर की। दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, षष्ठम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने अपील दायर करने में हुई देरी की माफी के आवेदन पर सुनवाई की और आक्षेपित आदेश दिनांक 09.02.2001 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन हेतु कोई पर्याप्त कारण न तो अभिवचित किए गए और न ही स्थापित किए गए, और तदनुसार विलंब माफी का आवेदन निरस्त करते हुए अपील को परिसीमा से बाधित होने के कारण खारिज कर दिया। उस आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 32 निम्नवत है:

> "32. द्वितीय अपील: धारा 31 के अधीन प्रथम अपील में पारित किये गए किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, किसी अन्य आधार पर नहीं, अर्थात् :-
>
> i) यह कि विनिश्चय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है; या
>
> ii) यह कि विनिश्चय में विधि के किसी तात्विक विवाद्यक का अवधारण नहीं हो पाया है ,
>
> Iii) यह निर्णय विधि के किसी तात्विक विवाद्यक या प्रक्रिया की किसी ऐसी ताकि इस अधिनियम द्वारा यथा विहित प्रक्रिया में कोई सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे मामले को विनिश्चय त्विक त्रुटि या दोष का अवधारणा करने में असफल रहा है जैसा कि

> गुणागुण के आधार पर होने में संभवतः गलती या त्रुटि उत्पन्न हो गई है ।"

यहाँ, वर्तमान प्रकरण में, अपील दायर करने में हुए विलंब की माफी का आवेदन दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। इसलिए, यह द्वितीय अपील तभी ग्राह्य हो सकती है जब यह प्रदर्शित किया जा सके कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथाओं के प्रतिकूल है।

अधिनियम की धारा 31 अपील दायर करने में हुई देरी की माफी के प्रावधानों की परिकल्पना करती है और उस प्रावधान के अनुसार; न्यायाधीश पर्याप्त कारणों से निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकृत रूप से, प्राधिकारी के समक्ष मूल कार्यवाही में अपीलार्थी को सूचना तामील की गई थी, जिसने कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और अनुपस्थित रहा, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2000 को अंतिम आदेश पारित किया गया था। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2000 को पारित आदेश से व्यथित होकर, अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत विलंब माफी के आवेदन के साथ अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि दिनांक 20.07.2000 को अपीलार्थी को प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2000 की जानकारी हुई, जिसकी प्रति 07.12.2000 को प्राप्त हुई और प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील दायर की गई। उसके आवेदन का प्रत्यर्थी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक अनुशीलन के पश्चात यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलार्थी दिनांक 31.03.2000 से 20.07.2000 की अवधि और आगे 20.07.2000 से 27.07.2000 तक विलंब माफी हेतु पर्याप्त कारण अभिवचित करने और स्थापित करने में विफल रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत, प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की तिथि से अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की अवधि विहित की गई है। यहाँ, वर्तमान प्रकरण में, प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में अपीलार्थी को सूचना तामील की गई थी। अपीलार्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.02.2000 को प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और उसके पश्चात अपनी मर्जी से कार्यवाही में भाग लेने से अनुपस्थित रहा; इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, परिसीमा अवधि की गणना के लिए, जानकारी की तिथि को परिसीमा अवधि की गणना का प्रारंभिक बिंदु स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने से क्यों अनुपस्थित रहा और उसे आदेश पारित होने की जानकारी क्यों नहीं हुई, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक था। किन्तु अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सूचना की तामीली और प्राधिकारी के समक्ष एक बार उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद वह जानबूझकर कार्यवाही से क्यों अनुपस्थित रहा और दिनांक 20.07.2000 तक अपीलार्थी ने प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को जानने का प्रयास क्यों नहीं किया, इन तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है; अतः अपीलार्थी दिनांक 31.03.2000 से 20.07.2000 तक हुए विलंब का कोई कारण स्पष्ट करने में विफल रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'एम.के. प्रसाद बनाम पी. अरुमुगम' **(AIR 2001 SC 2497)** तथा 'वेदाबाई उर्फ वैजयंताबाई बनाम शांताराम बाबूराव पाटिल एवं अन्य' **(AIR 2001 SC 2582)** के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी एक लोक प्राधिकरण है जहाँ नस्तियां एक मेज से दूसरी मेज तक चलती है इसलिए विलंब माफी के लिए न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था।

तथ्यों के आधार पर, दोनों मामले वर्तमान मामले से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अपील में जब तक यह प्रदर्शित नहीं हो जाता कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश

विधि या विधि का बल रखने वाली रूढ़ियों के प्रतिकूल है, तब तक अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य नहीं है। यहाँ वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी यह अभिवचित करने और स्थापित करने में विफल रहा कि उसे दिनांक 31.03.2000 को प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की जानकारी क्यों नहीं हो सकी, जबकि उसे कार्यवाही में सूचना तामील की गई थी और उसने एक बार उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। अपीलार्थी ने यह भी अभिवचन नहीं किया है कि वह जानबूझकर कार्यवाही से अनुपस्थित क्यों रहा और उसने समय पर प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को जानने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 20.07.2000 से 27.07.2000 तक प्रतिलिपि हेतु आवेदन क्यों नहीं किया गया; यह न तो अभिवचित किया गया और न ही सिद्ध किया गया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उचित विचारोपरांत सही और सटीक रूप से धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2000 से 20.07.2000 तक और दिनांक 20.07.2000 से 27.07.2000 तक के विलंब का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। अतः, विलंब माफी के आवेदन को सही ढंग से निरस्त किया गया और तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मेरे अभिमता में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथाओं के विपरीत नहीं है। अतः, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील ग्राह्य नहीं है और इसीलिए इसे सारांशतः खारिज किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के आलोक में, एम.(सी.)पी. संख्या 391/2001, आई.ए. संख्या 2741/2003 एवं 2657/2004 निराकृत किए जाते हैं।

हस्ता/-
वी. के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur